

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**

क्रमांक - नर्सिंग/नर्स-1/फार्मा/2019/

दिनांक

-:आदेश:-

निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कोर्स/पाठ्यक्रम/परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ०) व पद	पदस्थापन स्थान	जिस परीक्षा में सम्मिलित होने/साक्षात्कार की अनुमति चाही है।
1	पूर्णिमा शर्मा, फार्मासिस्ट	जयपुर द्वितीय	राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) प्रतियोगिता परीक्षा 2018-2019 का फार्म भरने व परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति।
2.	नितेश कुमार पारीक, फार्मासिस्ट	भीलवाडा	पीजीडीएसएसएम दिसम्बर- 2019 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति।
3.	दीक्षा सिंह, फार्मासिस्ट	ई एस.आई. हॉस्पिटल कोटा	यूजीसी दिल्ली द्वारा आयोजित शिक्षा अधिकारी के पद हेतु आवेदन करने की अनुमति वर्ष 2019।
4	ओमप्रकाश पलसानिया, फार्मासिस्ट	जयपुर प्रथम	ACF and Forest Range Officer Gr.I 2018 परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत।
5	अर्चना शर्मा, फार्मासिस्ट	झालावाड	गांधी नेशनल एकेडमी ऑफ न्यूरोपैथी द्वारा डिप्लोमा इन न्यूरोपैथी एण्ड योगा कोर्स (प्राइवेट) करने हेतु अनुमति।
6	अर्जुनराम पटेल, फार्मासिस्ट	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	एम ए (राजनीति विज्ञान) प्रिवीयस 2018-19 की परीक्षाओं में स्वयंपाठी छात्र के रूप में देने हेतु अनुमति।
7.	योगिता साहु, फार्मासिस्ट	जिला चिकित्सालय चादपोल उदयपुर	भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) 2019-20 एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) 2019-20 की परीक्षा में सम्मिलित होने।
8.	राजीव जैथलिया, फार्मासिस्ट	किशनगढ अजमेर	RRB (Railway Recruitment Board) Pharmacist Exam, Central University common entrance test for Ph.D 2019, RAS Examinations, RUHS Ph.D Entrance Test परीक्षाओं की अनुमति बाबत।
9.	पवन कुमार शर्मा फार्मासिस्ट	केंद्रिय कारागृह	RRB (Railway Recruitment Board) अजमेर मडल द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में शामिल होने हेतु।
10	जयदीप चौहान फार्मासिस्ट	जे एल एन अजमेर	RRB (Railway Recruitment Board) द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत।

शर्तें निम्न प्रकार हैं -

1. राज्य कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. इन्हें केवल परीक्षा/साक्षात्कार दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
4. परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. चयन होने पर नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकार कराकर कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करना होगा।
6. राज्य हित में यह स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।

नोट:- सविदा कर्मियों के मामले में उक्त आदेश/स्वीकृति लागू नहीं होगी।

(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर


दिनांक 10-07-2019

क्रमांक - नर्सिंग/नर्स-1/फार्मा/विविध-31/2019/261

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोग।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ।
5. अधीक्षक, केन्द्रिय कारागृह, चिकित्सालय जयपुर।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कार्मिकों को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर